



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/38/2018/एफ.सी./74

दिनांक:

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/29629/2017

विषय: जनपद चित्रकुट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाईन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-78/14-2-2018-800(68)/2018, दिनांक- 03.04.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.
- 2- Comments on alternative route has not been submitted.
- 3- Area calculation has to be exact for oblique crossing of transmission lines.
- 4- Reference of Rights of Primitive tribes and pre agricultural communities not mentioned in FRA certificate.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, चित्रकुट, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकुट, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}